1. In the court of Abhishek.K. Das. District & Sessions Judge, East Champaran at Motihari, B.P. No. 419/2026, dt. 07.03.2026 Bhulan Sahani vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

<u>जमानत आवेदन संख्या–419/2026</u>

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. भूलन सहनी वल्द गुलटेन सहनी उम्र 46 वर्ष
2. सूरज कुमार वल्द भूलन सहनी उम्र 27 वर्ष
ग्राम–अम्मवा, थाना–पिपरा, जिला– पूर्वी चम्पारण.....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदकगण की ओर से – श्री शैलेन्द्र कुमार ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद, विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

07.03.2026 काराधीन आवेदक/अभियुक्तगण भूलन सहनी एवं सूरज कुमार की ओर से पिपरा थाना कांड संख्या–11/2026, धारा– 126(2), 115(2), 118, 109(1), 76, 303(2), 352, 351(2),3/(5) बी.एन.एस. के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 13.01.2026 से कारा में निरूद्ध है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचक रमेश सहनी का कथन है कि सूरज कुमार दिनांक 30.08.2025 को बीस हजार रूपया लिया था। दिनांक 08.01.2026 को पूर्वाह्न में जब रूपया मांग रहा था अपने पिता जी के ईलाज कराने हेतु तो सूरज कुमार, भूलन सहनी, निर्मला देवी के द्वारा गाली–ग्लौज करने लगा और सूरज कुमार ने उस पर तेज हथियार चला दिया जिससे कट गया और काफी खून बहने लगा वह बेहोश होकर गिर गया और भूलन सहनी ने उसके पिता पर लाठी डंडा से वार कर दिया साथ ही निर्मला देवी, भूलन सहनी मिलकर उसके माता को उठाकर पटक दिया जिससे उसकी मॉ वेपर्द हो गई और लात मुक्का से मारने लगा। इसी कम में उसके गले से चालीस हजार रूपया के सोना की चैन निकाल लिया।

जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा

पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक के विरूद्ध सत्रवाद संख्या– 757/2012 दर्ज है, जिसमें वह जमानत पर है तथा कंडिका–4 में कहा गया है कि आवेदक दिनांक 13.01.2026 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उसने आरोपित घटना को कारित नहीं किया है, आवेदकगण के विरूद्ध आरोपित आरोप मनगढ़ंत एवं झूठ है। अब उभय पक्षों के बीच मामला सुलह हो गया है। धारा– 118, 109(1), 76 एवं 303(2) बी.एन.एस. को छोड़कर शेष धाराएं जमानतीय है। धारा– 118 एवं 109(1) बी.एन.एस. का आरोप इस मामले में नहीं बनता है। धारा– 76 एवं 303(2) बी.एन.एस. का आरोप मामले को गंभीर बनाने के लिए जोड़ा गया है। अतः जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है। आवेदक के विरूद्ध सूचक के साथ मिलकर सूचक उसके पिता को तेज हथियार, लाठी डंडा से मारपीट कर जख्मी कर देने एवं उसकी मॉ को पटक कर वेपर्द कर देने एवं लात–मुक्का से मारपीट करने का आरोप है। केस डायरी की कंडिका– 35 में रमेश कुमार उर्फ रमेश सहनी, हरदेव सहनी एवं रामा देवी का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक की राय में जख्मी रमेश कुमार उर्फ रमेश सहनी के बाएं हाथ पर कटने का निशान , जख्मी हरदेव सहनी के बांए हाथ की अंगुली में कटा का निशान एवं जख्मी रामा देवी के सर पर 0.5"x0.5" का खरोच होना पाया गया है, जिसे कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का होना पाया गया है। अब उभय पक्षों के बीच मामला सुलह हो गया है तथा उभय पक्षों की ओर हस्ताक्षरित एवं अंगूठे के निशान से समर्थिन फोटोयुक्त सुलहनामा आवेदन एवं सुलह करने हेतु अनुमति आवेदन की सच्ची प्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है, जिसे उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका– 38 के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास

दर्ज नहीं है। आवेदकगण के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका हैं । सूचक तथा जख्मी के द्वारा सुलहनामा के कथनों का समर्थन किया गया है। आवेदकगण दिनांक 13.01.2026 से कारा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, आरोप की प्रकृति, जख्मियों के जख्म की साधारण प्रकृति, उभय पक्षों के बीच स्थापित मधुर संबंध एवं आवेदकगण के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण भूलन सहनी एवं सूरज सहनी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/—रु. के बंध—पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदकग विचारण में सहयोग करेंगे।

लेखापित

ह0/—
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांकः— 07.03.2026